

प्रेषक,

जगन्नाथ,
सी0जे0एम0, बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा— जनपद न्यायाधीश, बहराइच।


विषय— प्रापटी स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी सेवा में आने के दिनांक तक, वर्ष 2009-11, 2011-13, 2013-15, 2015-17, 2017-19 व 2019-21 का प्रापटी स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी के कुछ खातों का विवरण खो जाने तथा प्रार्थी की माता-पिता का स्वास्थ्य खराब होने तथा माता का देहान्त हो जाने एवं कोरोना काल में खातों का विवरण समय से न प्राप्त हो पाने के कारण सहवन प्रार्थी द्वारा उक्त वित्तीय वर्षों के प्रापटी स्टेटमेन्ट को भेजने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा सम्पत्ति के विवरण को भेजने में हुए विलम्ब को क्षमा करे हुए, प्रार्थी के सम्पत्ति विवरण स्वीकार किये जाने की कृपा करें। प्रार्थी भविष्य सम्पत्ति का विवरण समय से प्रेषित करेगा।

भवदीय,

 24/03/22

(जगन्नाथ)

सी0जे0एम0, बहराइच।